

उत्तर प्रदेश शासन
स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-2
संख्या-8/2022/566/94-एस0आर0-2-2022-700(29)/2021
लखनऊ: दिनांक: 18 जून, 2022

अधिसूचना

आदेश

उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथा संशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1899) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से उक्त अधिनियम सन् 1899 की अनुसूची 1-ख के अनुच्छेद-33 के अधीन दान विलेख पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क में छूट प्रदान करके नीचे सारणी के स्तम्भ-1 में दिये गये दान विलेख पर उक्त सारणी के स्तम्भ-2 में दिया गया अधिकतम स्टाम्प शुल्क छः माह की अवधि के लिए नियत करती हैं :-

सारणी

स्तम्भ-1	स्तम्भ-2
लिखत का विवरण	अधिकतम स्टाम्प शुल्क
ऐसा दान विलेख, जिसके द्वारा दाता, अचल सम्पत्ति का अन्तरण, परिवार के सदस्यों [पिता, माता, पति, पत्नी, पुत्र, पुत्री, पुत्रवधु (पुत्र की पत्नी), दामाद (पुत्री का पति), सगा भाई, सगी बहन, पुत्र/पुत्री का पुत्र/पुत्री] के पक्ष में करें।	5000.00 रुपये।

आज्ञा से

वीना कुमारी
प्रमुख सचिव

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या:-8/2022/566/94-एस0आर0-2-2022-700(29)/2021 दिनांक: 18 जून, 2022

प्रतिलिपि- हिंदी एवं अंग्रेजी अधिसूचना की प्रति सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय ऐशबाग, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह कृपया इसे दिनांक- 18 जून, 2022 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड (ख) में अवश्य प्रकाशित करा दें और तत्पश्चात गजट की 100 प्रतियाँ आयुक्त, स्टाम्प उत्तर प्रदेश, लखनऊ को तथा 50 प्रतियाँ शासन के इस विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

अशोक कुमार पाण्डेय
अनु सचिव।

संख्या:-8/2022/566/94-एस0आर0-2-2022-700(29)/2021 दिनांक: 18 जून, 2022

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
- 2- महानिरीक्षक निबंधन/आयुक्त स्टाम्प, उ0प्र0।
- 3- समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
- 4- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।
- 5- समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
- 6- समस्त उप महानिरीक्षक निबंधन, उ0प्र0।
- 7- समस्त अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), उ0प्र0।
- 8- समस्त सहायक महानिरीक्षक निबंधन, उ0प्र0।
- 9- विधायी अनुभाग-1
- 10- भाषा अनुभाग-5
- 11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अशोक कुमार पाण्डेय
अनु सचिव।

UTTAR PRADESH SHASAN
STAMP EVAM NIBANDHAN ANUBHAG-2

In pursuance of provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Government notification no. 8/2022/566/94-S.R-2-2022-700(29)/2021 dated, 18 June, 2022.

Notification

Order

No. 8/2022/566/94-S.R-2-2022-700(29)/2021

Lucknow, Dated, 18 June, 2022

In exercise of the powers under clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (Act no. 2 of 1899) as amended in its application to Uttar Pradesh, the Governor, for a period of six months, with effect from the date of the publication of this notification in the Gazette, by giving remission, in the stamp duty chargeable on gift deed under Article 33 of Schedule 1-B of the said Act of 1899, is pleased to fix the maximum stamp duty as set out in column-2 of the table below on the gift deed as set out in column-1 of the table below :-

Table

Column-1	Column-2
Description of the instrument	Maximum stamp duty
Such gift deed, whereby the doner, transfers immovable property in favour of family members [Father, mother, husband, wife, son, daughter, daughter in law (wife of son), son in law (husband of daughter), real brother, real sister, Grand son/grand daughter].	Rupees 5000.00

By order

Veena Kumari
Pramukh Sachiv

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।